उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद विधेयक, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित एवं भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उ0प्र0 सरकारी गजट असाधारण में दिनांक 6 दिसम्बर, 2014 को प्रकशित हुआ]

राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 3 सितम्बर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से है;

(ख) ''केन्द्र'' का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त परिसर आदि भी सम्मिलित है;

(ग) ''निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में ''संस्था के प्रधान'' का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से है;

(ङ) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) ''संस्था'' का तात्पर्य राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर से है और इसके अन्तर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित और मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई मदरसा या ओरियन्टल कालेज भी है;

(छ) ''विधायक'' का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के किसी सदस्य से है;

(ज) ''मदरसा शिक्षा'' का तात्पर्य अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र की शिक्षा से है और इसके अन्तर्गत विद्या की ऐसी अन्य शाखायें भी हैं जिन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(झ) ''अन्तरीक्षक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें;

(ञ) ''मान्यता'' का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है;

(ट) ''उपनिदेशक'' का तात्पर्य मदरसा शिक्षा के कार्य से प्रभारित उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;

(ठ) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ड) ''रजिस्ट्रार'' का तात्पर्य परिषद के रजिस्ट्रार से है;

(ढ) ''केन्द्र अधीक्षक'' का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है;

(ण) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो, ''अनुचित साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

परिषद का गठन

3–(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

(3) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र का एक प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जो परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) निदेशक, जो परिषद् का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) प्रधानाचार्य, राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर;

(घ) एक सुन्नी मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(ङ) एक शिया मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि;

(छ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ज) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(झ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं के दो अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ञ) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं का एक अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट संस्था का एक विज्ञान या तिब अध्यापक;

(ठ) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश का लेखा एवं वित्त अधिकारी;

(ड) निरीक्षक;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी; जो सदस्य रजिस्ट्रार होगा।

(4) परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन और नाम निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(5) (क) जहाँ राज्य विधान मण्डल में मात्र एक शिया सदस्य या मात्र एक सुन्नी सदस्य हो तो प्रत्येक का नाम-निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) यदि राज्य विधान मण्डल में कोई शिया सदस्य उपलब्ध न हो तो दो सुन्नी मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे विधायकों में से एक विधायक के नाम-निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जाएगा कि वह उस दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा जिस दिनांक से कोई शिया मुस्लिम विधायक परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम विधायकों के अनुपलब्धता की स्थिति में दो शिया मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे शिया विधायकों में से एक विधायक के नाम निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जायगा कि वह किसी सुन्नी मुस्लिम विधायक द्वारा परिषद के सदस्य के पद का शपथ किये जाने के दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के दिनांक को और से, ऐसे स्थापन के ठीक पूर्व कार्य कर रहे, अरबी और फारसी शिक्षा बोर्ड, एतद्पश्चात, जिसे पूर्व में बोर्ड कहा गया है, विघटित हो जाएग और ऐसे विघटन पर,—

(क) पूर्व परिषद् की सभी सम्पत्तियाँ और परिसम्पत्त्यिाँ परिषद् को अन्तरित और उनमें निहित हो जायेगी;

(ख) पूर्व परिषद के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएं चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा हो, परिषद् को अन्तरित हो जाएगी;

(ग) पूर्व परिषद के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्त लाभों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, परिषद के अधिकारी और कर्मचारी हो जाएंगें, जब तक परिषद् के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक उनके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों में सम्यक् रूप से ऐसा परिवर्तन न कर दिया जाय जो उनके लिये अलाभकर न होः

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व परिषद् का कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे विघटन से तीस दिन की अवधि के भीतर तामील की गई, बोर्ड को सम्बोधित, नोटिस देकर परिषद् का अधिकारी या कर्मचारी न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, उस समय तक उसके द्वरा धृत पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसे प्रतिकर के रूप में उसके तीन मास के वेतन के समतुल्य धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सदस्यों का हटाया जाना

4–राज्य सरकार परिषद् से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे परिषद् के सदस्य के रूप में उसका बना रहना जनहित के लिये हानिकर होः

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपरोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

सदस्यों की पदावधि

5–(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी :

प्रतिबन्ध यह है धारा 3 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) की दशा में, यह उपधारा लागू नहीं होगी और अवधि का निर्धारण उक्त खण्ड के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद् का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा अैर उसका स्थान उसके उपरान्त रिक्त हो जायेगा।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

6–राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगा।

परिषद् की बैठक

7–(1) परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वह अपनी बैठकों में कार्य संपादन करने के लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाए।

(2) अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में परिषद् का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित कोई ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य न होगी

8–परिषद या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही परिषद् या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधि मान्य नहीं होगी।

परिषद का कृत्य

9–इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

(क) तहतानियां, फौकानियां, मुंशी, मोलवी, आलिम, कामिल, फाजिल और अन्य पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तकें अैर शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विनियम द्वारा विहित करना;

(ख) अरबी-फारसी मदरसों में हाईस्कूल अैर इण्टरमीडिएट स्तर के कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उनके लिये अवधारित पाठ्यक्रम के अनुसार अरबी, उर्दू और फारसी के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विनियम द्वारा विहित करना;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री की, उनमें से सामग्री का पूर्णतः या अंशतः या अन्यथा अपवर्जन करके, पाण्डुलिपि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(घ) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिये मानक विहित करना और नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना:

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र या अन्य विद्या सम्बन्धी सम्मान प्रदान करना, जिन्होंने–

(एक) ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद् द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान की गयी हो;

(दो) विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(च) मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संचालन करना;

(छ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(ज) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(झ) ऐसा शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किया जाय;

(ञ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(ट) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद् अवधारित करें;

(ठ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(ङ) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;

(ढ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(ण) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना जो फाजिल तक की मदरसा शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में गठित किये गये परिषद् के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हो;

(त) मदरसा शिक्षा की किसी शाखा अर्थात दारूल उलूम नव उलूम, लखनऊ, मदरसा बाबुल इल्म, मुबारकपुर, आजमगढ़, दारुल उलूम, देवबन्द, सहारनपुर, ओरियण्टल कालेज, रामपुर या ऐसी किसी अन्य संस्था में जिसे राज्य सरकार समय.समय पर अधिसूचित करे, अनुसंधान या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(थ) तहतानियां या फौकानियां स्तर तक शिक्षा के लिए जिल स्तर पर कम से कम तीन सदस्यों से बनी एक समिति का गठन करना और ऐसी समिति को अपने नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित करना,

(द) ऐसी सभी कार्यवाई करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन या कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक या आनुषंगिक हो।

परिषद् की शक्तियां

10–(1) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वाक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना जिसे,

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का, या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का, या

(घ) ऐसी परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का, या

(ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो।

(दो) खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिए या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद् की किसी सद्भावनापूर्ण भूल के कारण किसी अथ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना,

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियत करना और उसकी वसूल करने की रीति विहित करना,

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इंकार करना जो—

(क) कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है, या

(ख) परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद् के संतोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती,

(छः) परिषद् के नियमों या विनियमों या विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और परिषद् के नियमों और विनियमों या विनिश्चय, अनुदेशों या निदेशों को प्रवृत्त करने के लिए ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाय,

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथाचित रूप से अनुसरण किया जाए और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो, और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना, जो किसी संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सके।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

किसी नये विषय में या उच्च कक्षा के लिये किसी संस्था को मान्यता

11—धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी उच्च कक्षा के लिए किसी नये विषय या विषय समूह में किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

दान का उचित उपयोग

12–जहां किसी संस्था द्वारा अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा उसी रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद, अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राज्य सरकार की शक्ति

13–(1) राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद् सम्बन्धित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) परिषद्, राज्य सरकार को उसके पत्र व्यवहार पर प्रस्तावित की गई अथवा की जाने वाली ऐसी कार्यवाही, यदि कोई हो, को सूचित करेगी।

(3) यदि परिषद्, युक्ति-युक्त समय के भीतर राज्य सकार के समाधान के निमित्त कार्यवाही न करे तो निर्धारित अवधि में परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टता ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिस्कार, विखंडन या रचना कर सकती है और तद्नुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

14–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ परिषद्, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

15–(1) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह अवलोकित करना सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) परिषद् का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाए।

रजिस्ट्रार की शक्तियां और कर्तव्य

16–परिषद् का रजिस्ट्रार, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जाएँ और विशेषतया, वह–

(क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाय जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हो,

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो,

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाये।

समितियों और उप समितियों की नियुक्ति और गठन

17–(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्–

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति

(2) ऐसी समिति में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासंभव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके,

(क) संस्थाओं का प्रधान,

(ख) संस्थाओं के अध्यापक,

(ग) शिक्षाविद् :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्यों के कार्यकाल परिषद् की सदस्यता की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद् ऐसी अन्य समितियां या उपसमितियां, जो विनियम द्वारा विहित की जाय, नियुक्त कर सकती है।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उपसमितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायं।

प्रत्यायोजन की शक्ति

18–परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे

19–केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

परिषद् का विनियम बनाने की शक्ति

20–(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

(2) विशेषतया पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात् :–

(क) समितियों और उप समितियों का गठन उनकी शक्ति और कर्तव्य,

(ख) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना,

(ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें,

(घ) समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं और अनुसंधान कार्यक्रम में प्रविष्टि किये जायेंगे और उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के पाने के पात्र होंगे,

(च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश एवं प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, परिस्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्ति और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें,

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लिया जाना,

(ञ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

21–(1) धारा 20 के अधीन समस्त विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को उपान्तरण सहित या रहित अनुमोदित कर सकती है।

प्रशासन की योजना

22–(1) किसी विधि, दस्तावेज या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन की योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गई हो या उसके बाद में। प्रशासन की योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और मुस्लिम अल्पसंख्यक के दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से विनियम द्वारा विहित रीति से चयनित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे जिन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) किसी विनियम के अधीन रहते हुए, प्रशासन की योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति की अलग-अलग शक्ति, कर्तव्य और कृत्यों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियम में संस्थाओं के किसी वर्ग के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन की योजना परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन की योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी संस्था का प्रबन्धन प्रशासन की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के परिषद् के आदेश से व्यथित हो वहां राज्य सरकार प्रबन्धन के अभ्यावेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रशासन की योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह परिषद् को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त परिषद् तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

(6) प्रत्येक संस्था का प्रशासन और प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन की योजना के अनुसार किया जायेगा।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मामले में, प्रशासन की योजना का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे, मान्यता के लिये आवेदन पत्र के साथ ऐसे प्रारम्भ से छः मास के भीतर परिषद् को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) यदि कोई संस्था उप धारा (7) के उपबन्धों का, उसके लिए उपबन्धित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है तो परिषद् ऐसी संस्था से, लिखित नोटिस द्वारा, तीन मास की अग्रतर अवधि के भीतर प्रशासन की योजना को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व संस्था द्वारा किसी अभ्यावेदन पर परिषद् अपने विवेक से तीन मास की अवधि किन्तु उससे अधिक नहीं, के लिये अग्रतर विस्तार की अनुज्ञा दे सकती है और संस्था की प्रबंध समिति ऐसी अग्रतर बढ़ाई गई अवधि में इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करेगी।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

23–इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी संस्था के प्रधान, अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियम के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

24–(1) किसी संस्था के प्रधान अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा की शर्तो द्वारा शासित होंगे जैसी विनियम द्वारा विहित की जायं और प्रबन्ध समिति और यथा स्थिति ऐसी संस्था के प्रधान, अध्यापक या कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियम से असंगत हो शून्य होगा।

(2) उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसके अन्तर्गत जांच का निलम्बन, लम्ब या अपूर्णता नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन सम्मिलित है तथा निलम्बन की अवधि के लिए भत्ते और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतनमान और वेतनों का भुगतान,

(ग) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ, और

(घ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

25–परिषद् के या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों से, भिन्न अन्य सदस्यों में से होने वाली आकस्मिक समस्त रिक्तियां यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई हो। आकस्मिक रिक्तियां

26–(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है, जिनमें– परिषद और समितियों का उपविधियां बनाने की शक्ति

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति सृजित करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसी समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों के लिए व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके,

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) परिषद् और उसकी समितियां, परिषद् या समिति के सदस्यों को, परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी।

27–राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति और उप समिति या परिषद् या किसी समिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, उपाविधि, आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो। सद्भावना से किये गये कार्यों के लिए संरक्षण

28–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

29–(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जायेंगी और परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे। परिषद् की निधि

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्रतिकूल उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

30–(1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी। लेखा और लेखा परीक्षा

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रसारित किये जायेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

31–(1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अध्यादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की शक्ति

32–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2004

33–(1) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

शिक्षा संहिता के पैरा 55 में रजिस्ट्रार अरबी–फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रदेश में अरबी–फारसी मदरासें को मान्यता प्रदान करने और ऐसे मदरसों की परीक्षायें संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इन मदरसों का प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था। किन्तु वर्ष 1955 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के सृजित हो जाने के फलस्वरूप ऐसे मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्य शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश और रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में किया जा रहा है। अरबी फारसी मदरसों का प्रशासन अरबी फारसी मदरसा नियमावली, 1937 के अधीन चलाया जा रहा था किन्तु चूंकि उक्त नियमावली किसी अधिनियम के अधीन नहीं बनाई है, अतएव उक्त नियमावली के अधीन मदरसों के संचालन में अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो गई। अतएव, मदरसों के संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने, उनमें गुणात्मक सुधार लाने, मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन की अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल दिनांक 3 सितम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।